



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक : 2295-II/2002 विद्विध 3546 2114

विनोद भार्गव एडवोकेट

17-10-14

Signature
17-10-14

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बाबूलाल चौबे पुत्र श्री पुत्तलीलाल चौबे,
निवासी-ग्राम सुकवां तहसील व जिल छतरपुर
(म.प्र.) —आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, छतरपुर,
—अनावेदक

अवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण किया जिसका प्रकरण क्रमांक-2295-II/2002 में दिनांक 07/08/2013 को आदेश पारित किया गया है।
2. यह कि, लिपकीय त्रुटिवश आदेश के पैरा-2 की द्वितीय पंक्ति में "भूमि सर्वे क्रमांक-1880/3" अंकित हो गया है, जबकि वास्तविक भूमि सर्वे क्रमांक-1889/3 है, जिसे सर्वे क्रं.-1880/3 के स्थान पर सर्वे क्रं.-1889/3 किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
3. यह कि, लिपकीय त्रुटि सुधारा जाना न्यायसंगत होगा।

अतएव निवेदन है कि, लिपकीय त्रुटिवश भूमि सर्वे क्रमांक-1880/3 के स्थान पर भूमि सर्वे क्रमांक-1889/3 किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक 16/10/2014

स्थान-ग्वालियर

निवेदक

बाबूलाल चौबे



—आवेदक

द्वारा अभिभाषक

आर.डी.शर्मा

विनोद भार्गव

एडवोकेट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के नाम
<p>13-12-14 लॉर्ड कालात</p>	<p>प्रकरण आज लॉर्ड कालात के लिखे गए। डाक्टर्स कमिश्नरिज की वेब के दिवसी ने उपरोक्त डेक्रे अतएव रि कूल प्रकरण क्र. निगटानी 2295-III/02 के पारित आदेश दिनांक 7-8-13 के दिवसी पर के दिवसी पक्षों के टाडीफिंग आदि के प्रकरण 1889/3 के स्थान पर 1880/3 टंकित हो गया है जिसे सुधारा जाये। प्रकरण का दिवसी के दिवसी जाया। डाक्टर्स कमिश्नरिज के तब से उद्वेग हो रहे हैं निगटानी 2295-III/02 के पारित आदेश दिनांक 7-8-13 के दिवसी पर के दिवसी पक्षों के 1880/3 के स्थान पर 1889/3 परिवर्तन विधे जाते के आदेश विधे जाते हैं। यह आदेश कूल आदेश का किंग उद्वेग प्रकरण एवम् लिखे है।</p> <p style="text-align: center;">  (रानी अधीक) केस नं 2 </p> <p style="text-align: center;">  (S. N. Singh) केस नं </p>	<p>8-12-14 A</p>